

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर खण्ड, जयपुर

प्रमाण पत्र

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनिक प्रन्यास राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम 1959 (1959 का 42) के अधीन सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर के कार्यालय में आज के दिन यथावत रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है।

1. सार्वजनिक प्रन्यास का नाम पुर्णोत्तरील मीटला खोमीत
अलवर
2. सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या 23 जिला अलवर सन् 2025
3. प्रमाण-पत्र कार्यवाहक प्रन्यासी को जारी किया गया।
मेरे हस्ताक्षरों से आज दिनांक 16 मास 10 सन् 2025 को दिया गया।

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग
जयपुर खण्ड, जयपुर